न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 65/2025 एल.आर.एक्ट **GCMS No. 2025/67**

1. फूसाराम पुत्र श्री पेमाराम, जाति मेघवाल निवासी मुकलावा, तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. रामेश्वर लाल पुत्र मनफुलराम जाति बिश्नोई, निवासी मुकलावा तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर।

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः श्री हरिराम बिश्नोई — अभिभाषक अपीलांट्स
श्री जितेन्द्र बिश्नोई — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1

निर्णय

दिनांक 18.12.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर केम्प लिखमेवाला जिला श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 06.06.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादगत भूमि ग्राम पटवार मण्डल मुकलावा ग्राम 8 एम के प. नंबर 164/294 मुरब्बा नंबर 1 किला नंबर 10/.012 एवं 11/.013 हैक्टयर भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर के आदेश दिनांक 06.06.2018 द्वारा अपीलांट की भूमि में से गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज करने आदेश पारित कर दिए। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर के उक्त आदेश दिनांक 06.06.2018 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादगत रास्ता अपीलांट की भूमि के किला नंबर 10 व 11 पर स्वीकृत किया गया , तथा उक्त रास्ता को स्वीकृत करते समय अपीलांट को नही सुना गया

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

तथा एक तरफा निर्णय अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा जारी किया गया हैं। मुरब्बा नंबर 1 की जमाबंदी में जिन किलाजात में रास्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में स्वीकृत किया जा रहा है, उसको रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने पक्षकार बनाया है या नही तथा आनन फानन में राजस्व अभियान में आदेश पारित कर दिया। उक्त स्वीकृत रास्ता ना तो कभी चालु था ना ही वर्तमान में चालू है। पटवारी हल्का तथा तहसीलदार द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को लाभ पहुंचाने के लिए अपने पद दुरूपयोग करते हुए झूठी एवं गलत रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दी तथा अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट के आधार पर रास्ता स्वीकृत कर दिया। जो अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.06.2018 निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करे।

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 केम्प प्रभारी झोटावाली के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर 30 वर्षो से चला आ रहा रास्ता को अमल दरामद करवाने हेतु प्रस्तुत किया। जिस पर तहसीलदार रायसिंहनगर की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपनी रिर्पोट के साथ पटवारी व नक्शा मौका व जमाबंदी की प्रतियां प्रस्तुत की। जिसमे बताया गया कि उक्त प्रस्तावित रकबा में रास्ता मौके पर पुराना चालू हैं। माननीय मुख्य मंत्री द्वारा बजट घोषणा 2015–16 के परिपेक्ष्य राजस्व(ग्रुप–6) विभाग राज. जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 3(2)राज–6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं जिला कलक्टर श्री गंगानगर में पत्र क्रमांक एफ 12(11)()राजस्व/16/5758–802 दिनांक 16.08.2016 की पालना में उक्त रास्ता स्वीकृत किया गया है। इस कारण अपील अपीलांट निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

4– हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज तथा अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर ने अपने आदेश दिनांक 06.06.2018 ने अपीलांट्स की वादगत भूमि में से गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किए गए थे। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर के रिकॉर्ड का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर ने अपीलांट्स को किसी प्रकार की सूचना, सुनवाई व सबूत पेश करने के अवसर दिये बगैर एक तरफा तौर पर पुराना रास्ता दिखाकर जो आदेश पारित कर दिया। जो न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.08.2018 अपील अपीलांट की हद तक निरस्त किया जाता है तथा उक्त प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर को उक्त प्रकरण में संबंधित सभी पक्षों को सुनकर एवं पूर्ण जांच कर विधिसम्मत आदेश पारित करें।

5– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 18.12.2025 का लिखिवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर

न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग बीकानेर